



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 31.07.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 506/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम व गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 506/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-गुल्लू उर्फ दानिश पुत्र फरमान निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-सारिक पुत्र महफूज निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

1. अभियुक्त गुल्लू उर्फ दानिश का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0-1124/20 धारा 307 भादंवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- मु0अ0सं0-1125/20 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।

- मु0अ0सं0- 1129/20 धारा 411.414 भादंवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- मु0अ0सं0- 800/21 धारा 307 भादंवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- मु0अ0सं0- 801/21 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6.मु0अ0सं0- 1113/20 धारा 394 भादंवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- मु0अ0सं0- 793/21 धारा 392 भादंवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- मु0अ0सं0-506/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2. अभियुक्त सारिक का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0-1124/20 धारा 307 भादंवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- मु0अ0सं0- 1129/20 धारा 411.414 भादंवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- मु0अ0सं0- 1113/20 धारा 394 भादंवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- मु0अ0सं0-506/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 493 विवेक सिरोही कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 89 संजय कुमार कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 31.07.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 189/22 धारा 147/148/149/307/302
भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26/07/2022 को वादी श्री अजेन्द्र उर्फ भारत पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1. अंकित 2. निकित पुत्रगण नेत्रपाल 3. प्रदीप 4. अनुज पुत्रगण कल्याण 5. विकास उर्फ रूडा पुत्र सुनील 6. कल्याण पुत्र जिले सिंह



7. नेत्रपाल पुत्र भीमसिंह निवासीगण मौजिजाबाद नांगल थाना दोघट व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके भाई शुभम उर्फ मृगेन्द्र व उसके साथ जान से मारने की नीयत से सरिया व लाठी से मारपीट की व तमंचो से फायर कर उसके भाई शुभम की हत्या कर दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/148/149/307/302 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 189/22 धारा 147/148/149/307/302 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा पूर्व में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विकास उर्फ रुडा पुत्र सुनील निवासी ग्राम मौजिजाबाद/भगवानपुर नागल थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 जनक सिंह चौहान
2. उ0नि0 श्री मनीष कुमार
3. का0 991 नवीन कुमार,
4. का0 1045 सुधीर कुमार



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनाँक 31-07-2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के 672/22 धारा 323/325/506 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 24-07-2022 को थाना कोतवाली बडौत पर वसीम पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला शौरगिरान हिरोज कालेज के पास कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्त 1- जुबेर पुत्र इकराम 2- मेहरबान का लडका निवासीगण पट्टी चौधरान कश्यप चौपाल कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत 3- जुबे का खाल्लू निवासी ग्राम कोताना थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी के साथ मारपीट कर वादी के दांत तोड दिया, तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 672/22 धारा 323/326/506 भादवि पंजीकृत किया गया । उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 326 भादवि का लोप करते हुए धारा 325 भादवि की वृद्धि की गई ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 672/22 धारा 323/325/506 में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- जुबेर पुत्र इकराम निवासी पट्टी चौधरान कश्यप चौपाल करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री रविन्द्र कुमार सैनी थाना कोतवाली बडौत

2-है0का0 410 राजवीर थाना कोतवाली बडौत

3-का0 1070 नरेश थाना कोतवाली बडौत



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 31.07.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी /अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-अक्षय उर्फ छोटू पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम बड़ागाँव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-सादकिन उर्फ मटरू पुत्र अल्लानूर निवासी पट्टी चक्रसैनपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।

2. उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।
3. का0 789 योगेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।
4. का0 545 मनीष कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 31.07.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 09 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 09 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 308/22 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. चेतन कुमार पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम औसिकका थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 09 अदद बोतल बोतल अवैध इम्पैक्ट डीलक्स विहस्की अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना पुलिस:-

1. उ०नि० श्री मौ० आसिफ थाना खेकड़ा बागपत ।
2. है०का० 377 सुरेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।
3. का० 24 तरूण कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।

आबकारी टीम:-

1. आब०निरी० श्री अजय कुमार क्षेत्र - 1 बागपत ।
2. प्र०आब०सि० दिनेश कुमार क्षेत्र - 1 बागपत ।
3. प्र०आब०सि० अश्वनी कुमार क्षेत्र - 1 बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 31.07.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 12 कैन किंग फिशर बीयर दिल्ली मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक मो०सा० हीरो स्पलेण्डर प्लस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 12 कैन किंग फिशर स्ट्रॉंग बीयर दिल्ली मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक मो० सा० हीरो स्पलेण्डर प्लस बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु०अ०सं० 309/22 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. बादल पुत्र कुंवर पाल निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 12 कैन किंग फिशर स्ट्रोंग बीयर दिल्ली मार्का।
- तस्करी में प्रयुक्त एक मो० सा० हीरो स्पलेण्डर प्लस रजि सं० UP-17U- 9367

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना खेकडा पुलिस:-

1. उ०नि० श्री मौ० आसिफ थाना खेकडा बागपत।
2. है०का० 377 सुरेन्द्र कुमार थाना खेकडा बागपत।
3. का० 24 तरुण कुमार थाना खेकडा बागपत।

आबकारी टीम

1. आबकारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह क्षेत्र प्रथम बागपत।
2. आब०है०का० दिनेश कुमार क्षेत्र प्रथम बागपत।
3. आब०है०का० अश्वनी कुमार क्षेत्र प्रथम बागपत।